Bill No. 24 of 2015

THE PRISONS (RAJASTHAN AMENDMENT) BILL, 2015

(To be Introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

to amend the Prisons Act, 1894 in its application to the State of Rajasthan.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-sixth Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title, extent and commencement.- (1) This Act may be called the Prisons (Rajasthan Amendment) Act, 2015.

(2) It extends to the whole of the State of Rajasthan.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

2. Amendment of section 42, Central Act No. 9 of 1894.- In section 42 of the Prisons Act, 1894 (Central Act No. 9 of 1894), hereinafter referred to as the principal Act, in its application to the State of Rajasthan, for the existing expression "for a term not exceeding six months, or to fine not exceeding two hundred rupees, or to both," the expression "for a term not exceeding three years, or to fine not exceeding three thousand rupees, or to both" shall be substituted.

3. Amendment of section 43, Central Act No. 9 of 1894.- In section 43 of the principal Act, for the existing expression "and refuses on demand of such officer to state his name and residence, or gives a name or residence which such officer knows, or has reason to believe, to be false," shall be deleted.

4. Insertion of new sections 58-A and 58-B, Central Act No. 9 of 1894.- After the existing section 58 and before the

existing section 59 of the principal Act, the following new sections shall be inserted, namely:-

"**58-A. Release of prisoners on parole.-** The State Government or any authority empowered by it may release a prisoner on parole in accordance with such rules as may be made in this behalf.

58-B. Surrender of prisoners on the expiry of the period of temporary release.- (1) Any prisoner released on parole shall surrender himself to the officer in charge of the prison from which he was released, on the expiry of the period of parole or at such earlier time as he may be directed by the State Government or any authority empowered by it in this behalf.

(2) Any Prisoner who does not surrender himself as required by sub-section (1) or fails to comply with any other conditions upon which he is released, may be arrested by any police officer and shall be liable upon conviction to be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three years or with fine which may extend to three thousand rupees or with both.".

5. Amendment of section 59, Central Act No. 9 of 1894.- In sub-section (1) of section 59 of the principal Act,-

(i) in clause (27), the existing word "and", appearing at the end, shall be deleted; and

(ii) after the clause (27), so amended, and before the existing clause (28), the following new clause shall be inserted, namely:-

"(27-a) for release on parole and determining the conditions on which and the authority by which prisoners may be released on parole; and".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Introduction or removal of prohibited articles into or from prison and communication with prisoners is an offence under section 42 of Prisons Act, 1894. This offence is non- cognizable. It is proposed to make the offence under section 42 cognizable by enhancement of the quantum of punishment and accordingly section 43 is also proposed to be amended.

Provisions are also sought to be made to enable the State Government to grant parole to the prisoners and to make rules in that behalf. It is also proposed that in case the prisoner released on parole does not surrender himself to the officer incharge of the prison on the expiry of the period of parole, he shall be liable to be punished with imprisonment which may extend to three years or with fine which may extend to three thousand rupees or with both. Accordingly new sections 58-A and 58-B are sought to be inserted in the Prisons Act,1894 and section 59 thereof is sought to be amended by inserting a new clause (27-a) therein.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

Hence this Bill.

गुलाब चन्द कटारिया,
Minister Incharge.

EXTRACTS TAKEN FROM THE PRISONS ACT, 1894
(Central Act No. 9 of 1894)

XX XX XX XX XX

42. Penalty for introduction or removal of prohibited articles into or from prison and communication with prisoners.- Whoever, contrary to any rule under section 59 introduces or removes or attempts by any means whatever to introduce or remove, into or from any prison, or supplies or attempts to supply to any prisoner outside the limits of a prison, any prohibited article,

and every officer of a prison who, contrary to any such rule, knowingly suffers any such article to be introduced into or removed from any prison, to be possessed by any prisoner, or to be supplied to any prisoner outside the limits of a prison,

and whoever, contrary to any such rules, communicates or attempts to communicate with any prisoner,

and whoever abets any offence made punishable by this section,

shall, on conviction before a Magistrate, be liable to imprisonment for a term not exceeding six months, or to fine not exceeding two hundred rupees, or to both.

43. Power to arrest for offence under section 42.- When any person, in the presence of any officer of a prison, commits any offence specified in the last foregoing section, and refuses on demand of such officer to state his name and residence, or gives a name or residence which such officer knows or has reason to believe, to be false, such officer may arrest him, and shall without unnecessary delay make him over to a Police-Officer, and thereupon such Police-Officer shall proceed as if the offence had been committed in his presence.

XX XX XX XX XX

59. Power to make rules.- (1) The State Government may by notification in the Official Gazette make rules consistent with this Act-

(1) to (26) xx xx xx xx xx

(27) in regard to the admission, custody, employment, dieting, treatment and release of prisoners; and

(28) xx xx xx xx xx

(2) xx xx xx xx xx

XX XX XX XX XX

(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)

2015 का विधेयक सं.24

कारागार (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2015

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

कारागार अधिनियम, 1894 को राजस्थान राज्य में उसके लागू होने के संबंध में संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ.- (1) इस अधिनियम का नाम कारागार (राजस्थान संशोधन) अधिनियम, 2015 है।

(2) इसका प्रसार संपूर्ण राजस्थान राज्य में है।

(3) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

2. 1894 के केन्द्रीय अधिनियम सं. 9 की धारा 42 का संशोधन.- कारागार अधिनियम, 1894 (1894 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 9), जिसे इसमें आगे मूल अधिनियम कहा गया है, के राजस्थान राज्य में उसके लागू होने के संबंध में, उसकी धारा 42 में विद्यमान अभिव्यक्ति "जिसकी अवधि छह मास से अधिक की नहीं होगी, या जुर्माने से, जो दो सौ रुपए से अधिक का नहीं होगा, अथवा दोनों से," के स्थान पर अभिव्यक्ति "जिसकी अवधि तीन वर्ष से अधिक की नहीं होगी, या जुर्माने से, जो तीन हजार रुपये से अधिक का नहीं होगा, अथवा दोनों से," प्रतिस्थापित की जायेगी।

3. 1894 के केन्द्रीय अधिनियम सं. 9 की धारा 43 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 43 में, विद्यमान अभिव्यक्ति "और उस अधिकारी द्वारा मांग की जाने पर अपना नाम या निवास-स्थान बताने से इन्कार करेगा या ऐसा नाम या निवास-स्थान बताएगा जिसके बारे में अधिकारी जानता है या उसे विश्वास करने का कारण है कि वह मिथ्या है" हटायी जायेगी।

4. 1894 के केन्द्रीय अधिनियम सं. 9 में नयी धारा 58-क और 58-ख का अन्त:स्थापन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 58 के पश्चात् और विद्यमान धारा 59 के पूर्व निम्नलिखित नयी धाराएं अन्त:स्थापित की जायेंगी, अर्थात्:-

"58-क. बंदियों को पैरोल पर छोड़ा जाना.- राज्य सरकार या उसके द्वारा सशक्त कोई प्राधिकारी किसी बंदी को ऐसे नियमों के अनुसार, जो इस निमित्त बनाये जायें, पैरोल पर छोड़ सकेगा।

58-ख. अस्थायी रूप से छोड़े जाने की कालावधि की समाप्ति पर बंदियों का समर्पण.- (1) पैरोल पर छोड़ा गया कोई भी बंदी स्वयं को, पैरोल की कालावधि की समाप्ति पर या ऐसे पूर्वतर समय पर जैसाकि उसे राज्य सरकार या उसके द्वारा इस निमित्त सशक्त किसी प्राधिकारी द्वारा, निदिष्ट किया जाये, उस कारागार, जिससे वह छोड़ा गया था, के प्रभारी अधिकारी के समक्ष, समर्पित करेगा।

(2) कोई भी बंदी जो स्वयं को उप-धारा (1) में यथा अपेक्षित रूप से समर्पित नहीं करता है या ऐसी अन्य शर्तों, जिन पर उसे छोड़ा गया है, का पालन करने में विफल रहता है तो, किसी पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किया जा सकेगा और दोषसिद्धि पर, दोनो में से किसी प्रकार के ऐसी अवधि के कारावास से जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा, या ऐसे जुर्माने से जो तीन हजार रुपये तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से, दण्डनीय होगा।"

5. 1894 के केन्द्रीय अधिनियम सं. 9 की धारा 59 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 59 की उप-धारा (1) में,

(i) खण्ड (27) में, अन्त में आया विद्यमान शब्द "और" हटाया जायेगा; और

(ii) इस प्रकार संशोधित खण्ड (27) के पश्चात् और विद्यमान खण्ड (28) के पूर्व निम्नलिखित नया खण्ड अन्त:स्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(27-क) पैरोल पर छोड़ना और वे शर्तें, जिन पर और वह प्राधिकारी, जिसके द्वारा बंदियों को पैरोल पर छोड़ा जा सकेगा, अवधारित करना; और"।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

प्रतिषिद्ध वस्तुएं कारागार में लाना या वहां से हटाना और बंदियों के साथ सम्पर्क करना, कारागार अधिनियम, 1894 की धारा 42 के अधीन अपराध है। यह अपराध असंज्ञेय है। दण्ड की मात्रा को बढ़ाकर धारा 42 के अधीन अपराध को संज्ञेय बनाया जाना प्रस्तावित है और तदनुसार धारा 43 में संशोधन किया जाना भी प्रस्तावित है।

बंदियों को पैरोल पर छोड़े जाने और उस निमित्त नियम बनाये जाने हेतु राज्य सरकार को सशक्त करने के लिए उपबंधों का बनाया जाना भी ईप्सित है। यह भी प्रस्तावित है कि किसी मामले में पैरोल पर छोड़ा गया बंदी स्वयं को पैरोल की कालावधि की समाप्ति पर कारागार के भारसाधक अधिकारी के समक्ष समर्पित नहीं करता है तो, वह ऐसी अवधि के कारावास से जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा, या ऐसे जुर्माने से जो तीन हजार रुपये तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से, दण्डनीय होगा। तदनुसार, कारागार अधिनियम, 1894 में नयी धाराएं 58-क और 58-ख अन्त:स्थापित की जानी ईप्सित हैं और इसकी धारा 59 को इसमें एक नये खण्ड (27-क) के अन्त:स्थापन द्वारा संशोधित किया जाना ईप्सित है।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ईप्सित है।

अत: विधेयक प्रस्तुत है।

गुलाब चन्द कटारिया,
प्रभारी मंत्री।

कारागार अधिनियम, 1894 (1894 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 9) से लिये गये उद्धरण

XX XX XX XX XX

42. प्रतिषिद्ध वस्तुओं के कारागार में लाने या वहां से हटाने के लिए तथा बन्दियों के साथ सम्पर्क के लिए शास्ति.- जो कोई धारा 59 के अधीन किसी नियम के प्रतिकूल कोई प्रतिषिद्ध वस्तु किसी कारागार में लाएगा या वहां से हटाएगा या किसी भी साधन से लाने या हटाने का प्रयत्न करेगा या कारागार की सीमाओं के बाहर किसी बन्दी को प्रदाय करेगा या प्रदाय करने का प्रयत्न करेगा,

और कारागार का प्रत्येक अधिकारी, जो उस नियम के प्रतिकूल कोई वस्तु जानबूझकर किसी कारागार में लाए जाने या वहां से हटाए जाने देगा, किसी बन्दी को पास रखने देगा या कारागार की सीमाओं के बाहर किसी बन्दी को प्रदाय होने देगा,

और जो कोई ऐसे किसी नियम के प्रतिकूल, किसी बन्दी के साथ सम्पर्क करेगा या सम्पर्क करने का प्रयत्न करेगा,

और जो कोई इस धारा द्वारा दंडनीय किसी अपराध को दुष्प्रेरित करेगा,

वह किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष दोषसिद्ध होने पर कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से अधिक की नहीं होगी, या जुर्माने से, जो दो सौ रुपए से अधिक का नहीं होगा, अथवा दोनों से, दण्डनीय होगा।

43. धारा 42 के अधीन अपराध के लिए गिरफ्तार करने की शक्ति.- जब कोई व्यक्ति, कोई ऐसा अपराध, जो पूर्वगामी अन्तिम धारा में विनिर्दिष्ट है, कारागार के किसी अधिकारी की उपस्थिति में करेगा और उस अधिकारी द्वारा मांग की जाने पर अपना नाम या निवास-स्थान बताने से इन्कार करेगा या ऐसा नाम या निवास-स्थान बताएगा जिसके बारे में अधिकारी जानता है या उसे विश्वास करने का कारण है

कि वह मिथ्या है तब, वह अधिकारी उसे गिरफ्तार कर सकेगा, और अनावश्यक विलम्ब के बिना उसे किसी पुलिस अधिकारी के सुपुर्द कर सकेगा, और तब वह पुलिस अधिकारी इस प्रकार कार्यवाही करेगा मानो वह अपराध उसकी उपस्थिति में किया गया था।

XX XX XX XX XX

59. नियम बनाने की शक्ति.- (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निम्नलिखित के लिए, इस अधिनियम से संगत नियम बना सकेगी-

(1) से (26) XX XX XX XX XX

(27) बन्दियों का प्रवेश, अभिरक्षा, नियोजन, भोजन, उपचार और छोड़ा जाना; और

(28)XX XX XX XX XX

(2) XX XX XX XX XX

XX XX XX XX XX

2015 का विधेयक सं.24

कारागार (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2015

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान विधान सभा

कारागार अधिनियम, 1894 को राजस्थान राज्य में उसके लागू होने के संबंध में संशोधित करने के लिए विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

पृथ्वी राज,
विशिष्ट सचिव।

(गुलाब चन्द कटारिया, **प्रभारी मंत्री)**

Bill No. 24 of 2015

THE PRISONS (RAJASTHAN AMENDMENT) BILL, 2015

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

A

Bill

to amend the Prisons Act, 1894 in its application to the State of Rajasthan.

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

PRITHVI RAJ,
Special Secretary.

(Gulab Chand Kataria, **Minister-Incharge**)